

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 203]	नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 15, 2019/पौष 25, 1940
No. 203]	NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 15, 2019/PAUSHA 25, 1940

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 2019

का.आ. 301(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निदेश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कॉलम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने तालिका के कॉलम (3) में विनिर्धारित कार्य इस शर्त के अध्यधीन राज्य सरकारों द्वारा पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों का अनुपालन करने के लिए ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग), की अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ), दिनांकित 4 अगस्त, 2005 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 9 के लिए तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थातु:-

तालिका

(1)	(2)		(3)	
"9	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 20, [किमी. 11.00 से किमी. 208.00 को छोड़कर], सं. 20ए,	हिमाचल	प्रदेश	राज्य
	सं. 21ए [किमी. 17.00 से किमी. 35.00 तक को छोड़कर], सं. 22 [किमी.	सरकार"		
	337.140 से किमी. 368.340 (वांगटू – पोवारी जंक्शन खंड) सहित किंतु सीमा			
	सड़क विकास बोर्ड को सुपुर्द किए गए खंडों और किमी. 62.200 से किमी.			
	156.507 (हरियाणा/हिमाचल सीमा - सोलन - कैथिलीघाट - शिमला बाइपास			
	खंड) तक को छोड़कर], सं. 70, सं. 72, सं. 72बी, सं. 73ए, नई रारा सं. 154ए,			

293 GI/2019 (1)

नई रारा सं. 305, नई रारा सं. 503, (मतौर – धर्मशाला – मैकलॉयडगंज खंड) और नई रारा सं. 503वि., नई रारा सं. 503ए, नई रारा सं. 505ए, **नई रारा सं. 705** और नई रारा सं. 907ए के उतने भाग जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित है।

[फा. सं. एनएच-14013/8/2018-पीएंडएम]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

पाद टिप्पण: मूल अधिसूचना को का.आ. सं. 1096(अ), दिनांकित 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे पिछली बार अधिसूचना का.आ. सं. 8(अ), दिनांकित 2 जनवरी, 2019 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 15th January, 2019

S.O. 301(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:-

In the said notification, in the Schedule, for serial number 9 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

TABLE

(1)	(2)	(3)
"9	So much of National Highways No. 20[excluding km 11.00 to km 208.00]	State Government of Himachal
	No. 20A, No. 21A [excluding from km 17.00 to km 35.00], No.22 [including	Pradesh."
	from km. 337.140 to km. 368.340 (Wangtu-Powari junction section) but	
	excluding the stretches entrusted to Border Road Development Board and	
	from km. 62.200 to Km. 156.507 (Haryana/Himachal Border-Solan-	
	Kaithlighat –Shimla Bypass section)] No.70, No.72, No. 72B, No.73A, new	
	NH No. 154A, new NH No. 305, new No. 503 (Mataur-Dharamshala-	
	Macleodganj section) and new NH No. 503 Extn, New NH No. 503A, New	
	NH No. 505A, new NH No.705, and new NH No. 907A as are situated	
	within the State of Himachal Pradesh.	

[F. No. NH-14013/8/2018-P&M] RAJESH GUPTA, Dy. Secy.

Note: The principal notification was published vide number S.O.1096 (E), dated the 4th August, 2005 and was last amended vide notification No. 8(E) dated the 02.01.19.